"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 34] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 19 अगस्त 2016—श्रावण 28, शक 1938

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, लावण्या एस. पिता स्व. हामिद शेख, उम्र 22 वर्ष, निवासी-समता कालोनी, रायपुर, तहसील व जिला रायपुर (छ. ग.) की हूं. यह कि मेरी कक्षा पहली से इंजीनियरिंग अंतिम की परीक्षा के समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्रों, अंकसूची एवं शासकीय व अर्धशासकीय दस्तावेजों में मेरा नाम सैबा शेख पिता स्व. हामिद शेख अंकित व दर्ज है. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम लावण्या एस. रख ली हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूं.

अत: अब मुझे लावण्या एस. पिता स्व. हामिद शेख के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

सैबा शेख
पिता स्व. हामिद शेख
निवासी- 40 बी, समता कालोनी, रायपुर
तहसील व जिला रायपुर (छ. ग.)

नया नाम

लावण्या एस.
पिता स्व. हामिद शेख
निवासी- 40 बी, समता कालोनी, रायपुर
तहसील व जिला रायपुर (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, मोहम्मद अय्यूब पिता अब्दुल गफ्फार, निवासी-मकान नं. 53/179, वार्ड नं. 60, गली नं. 12, ईदगाहभाठा रायपुर, तहसील व जिला रायपुर (छ. ग.) का हूं. यह कि मेरे शैक्षणिक प्रमाण पत्रों, ड्रायविंग लायसेंस, पेन कार्ड, मूल निवास प्रमाण पत्र में मेरे पिता के नाम के स्थान पर त्रुटिवश मेरे दादा जी का नाम शेख मोहम्मद दर्ज हो गया है जबकि मेरे पिताजी का नाम अब्दुल गफ्फार है जो मेरे आधार कार्ड, राशनकार्ड एवं मतदाता परिचय पत्र में दर्ज है. मैं अपने पिताजी का नाम परिवर्तित कर नया नाम मोहम्मद अय्यूब पिता अब्दुल गफ्फार रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अतः अब मुझे मोहम्मद अय्यूब पिता अब्दुल गफ्फार के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	**नया नाम**
मोहम्मद अय्यूब पिता शेख मोहम्मद निवासी-मकान नं. 53/179, वार्ड नं. 60, गली नं. 12, ईदगाहभाठा रायपुर (छ. ग.)	मोहम्मद अय्यूब पिता अब्दुल गफ्फार निवासी-मकान नं. 53/179, वार्ड नं. 60, गली नं. 12, ईदगाहभाठा रायपुर (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमती कांती चन्द्रा पति श्री ज्ञानचंद चन्द्रा, आयु 56 वर्ष, निवासी-प्रगति नगर रिसाली भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) की हूं. यह कि मेरे समस्त शैक्षणिक दस्तावेज में मेरा नाम कांती बाई दर्ज है तथा मेरे परिचय पत्र, आधार कार्ड में मेरा नाम श्रीमती कांती चन्द्रा दर्ज है. मेरे पति के बी. एस. पी. भिलाई के सर्विस रिकार्ड में मेरा नाम श्रीमती कांती बाई दर्ज किया गया है. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम श्रीमती कांती चन्द्रा रख ली हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूं.

अतः अब मुझे श्रीमती कांती चन्द्रा पति श्री ज्ञानचंद चन्द्रा के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	**नया नाम**
श्रीमती कांती बाई (Smt. Kanti Bai) पति श्री ज्ञानचंद चन्द्रा निवासी-मकान नं. 164, वार्ड नं. 63, प्रगति नगर रिसाली, भिलाई तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)	श्रीमती कांती चन्द्रा (Smt. Kanti Chandra) पति श्री ज्ञानचंद चन्द्रा निवासी-मकान नं. 164, वार्ड नं. 63, प्रगति नगर रिसाली, भिलाई तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, प्रभुनाथ सिंह आत्मज स्व. रामरतन सिंह, उम्र 66 वर्ष, निवासी-ब्लाक नं. 72/बी, एच. एस. सी. एल. कालोनी, रूआबांधा सेक्टर, भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूं. यह कि मेरे पुत्र अभिषेक कुमार सिंह ने केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से शिक्षा प्राप्त की है. मेरे पुत्र के केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की अंकसूची वर्ष 2008, 2009, 2011 एवं सेकेण्डरी स्कूल परीक्षा सर्टिफिकेट वर्ष 2008 में मेरा नाम (पिता का नाम) पी. एन. सिंह एवं माता का नाम इंद्रावती देवी दर्ज हो गया है जो त्रुटिपूर्ण है. मैं अपने पुत्र के पिताजी एवं माताजी के नाम को परिवर्तित कर नया नाम प्रभुनाथ सिंह एंव माता का नाम इमलावती सिंह रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब मेरे पुत्र को अभिषेक कुमार सिंह पिता श्री प्रभुनाथ सिंह माता इमलावती सिंह के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	**नया नाम**
अभिषेक कुमार सिंह पिता-पी. एन. सिंह माता इंद्रावती देवी निवासी-ब्लॉक नं. 72/बी, एच. एस. सी. एल. कालोनी, रूआबांधा सेक्टर भिलाई तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)	अभिषेक कुमार सिंह पिता-प्रभुनाथ सिंह माता इमलावती सिंह निवासी-ब्लॉक नं. 72/बी, एच. एस. सी. एल. कालोनी, रूआबांधा सेक्टर भिलाई तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमती सुनीता मेश्राम पति श्री जे. एल. मेश्राम, उम्र 48 वर्ष, निवासी-प्लाट नं.-55, दयानगर रिसाली भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) की हूं. यह कि मेरी पुत्री कुमारी सुजलाम मेश्राम कक्षा दसवीं की छात्रा है जिसकी जन्म तिथि 22-5-2001 है. मेरी पुत्री के शैक्षणिक, शासकीय, अर्धशासकीय एवं अन्य अभिलेखों/दस्तावेजों में कुमारी सुजलाम मेश्राम (Sujlam Meshram) आ. श्री जे. एल. मेश्राम अंकित है. मैं अपनी पुत्री का नाम परिवर्तित कर नया नाम कुमारी सुजलाम मेश्राम (Sujalam Meshram) रख ली हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूं.

अत: अब मेरी पुत्री को सुजलाम मेश्राम (Sujalam Meshram) पिता श्री जे. एल. मेश्राम के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	**नया नाम**
सुजलाम मेश्राम (Sujlam Meshram) पिता श्री जे. एल. मेश्राम निवासी-प्लाट नं.-55, दयानगर रिसाली भिलाई तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)	सुजलाम मेश्राम (Sujalam Meshram) पिता श्री जे. एल. मेश्राम निवासी-प्लाट नं.-55, दयानगर रिसाली भिलाई तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, भागवत साहू आ. स्व. कत्थू साहू, आयु 47 वर्ष एवं श्रीमती भूनिषा साहू ध. प. भागवत साहू, उम्र 33 वर्ष, निवासी-शिवनगर बसंतपुर, वार्ड नं. 42, राजनांदगांव, तहसील व जिला राजनांदगांव (छ. ग.) का हूं. यह कि मैं दिनांक 4-4-2016 को श्रीमान् उप पंजीयक कार्यालय राजनांदगांव से पंजीकृत गोदनामा के द्वारा श्रीमती अंजु साहू ध. प. श्री गुरबेल साहू, निवासी रोटरी भवन, नयनदीप विद्यामंदिर, सिविक सेन्टर भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग की नाबालिग पुत्रियां कुमारी वर्षा साहू एवं कुमारी वंदना साहू को गोदनामा द्वारा पुत्री बना लिया हूं. गोदनामा विलेख के आधार पर मैं अपनी पुत्री के माता, पिता का नाम परिवर्तित कर नया नाम कु. वर्षा साहू एवं कु. वंदना साहू पिता भागवत साहू एवं माता श्रीमति भूनिषा साहू रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब मेरी पुत्री को कुमारी वर्षा साहू एवं कुमारी वंदना साहू पिता श्री भागवत साहू माता श्रीमति भूनिषा साहू के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

(1) कुमारी वर्षा साहू आत्मजा गुरबेल साहू
(2) कुमारी वंदना साहू आत्मजा गुरबेल साहू
निवासी-रोटरी भवन, नयनदीप विद्यामंदिर,
सिविक सेन्टर भिलाई
तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)

नया नाम

(1) कुमारी वर्षा साहू
पिता श्री भागवत साहू
माता श्रीमति भूनिषा साहू
(2) कुमारी वंदना साहू
पिता श्री भागवत साहू
माता श्रीमति भूनिषा साहू
निवासी-शिवनगर, बसंतपुर वार्ड नं. 42 राजनांदगांव
तहसील व जिला राजनांदगांव (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, मोहित जैन पिता श्री हरीश जैन, निवासी-आपापुरा, शनिचरी बाजार, दुर्ग, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूं. यह कि मेरे आधार कार्ड में मेरा नाम मोहित जैन दर्शाया गया है तथा मेरे शिक्षा प्रमाण पत्र पर मेरा नाम मधुर जैन दर्शाया गया है. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम मोहित जैन रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब मुझे मोहित जैन पिता श्री हरीश जैन के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

मधुर जैन
पिता श्री हरीश जैन
निवासी-आपापुरा, शनिचरी बाजार दुर्ग
तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)

नया नाम

मोहित जैन
पिता श्री हरीश जैन
निवासी-आपापुरा, शनिचरी बाजार दुर्ग
तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, सीता प्रसाद पाण्डे आत्मज भास्कर पाण्डे, निवासी-मकान नं. 247/बी, रिसाली सेक्टर भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूं. यह कि मेरे भिलाई इस्पात संयंत्र भिलाई के सेवा अभिलेखों में मेरा नाम सीता प्रसाद दर्ज है एवं मेरे पैनकार्ड, आधार कार्ड, निर्वाचन कार्ड एवं अन्य दस्तावेजों में मेरा नाम सीता प्रसाद पाण्डे दर्ज है. मैं अपने नाम के साथ सरनेम "पाण्डे" जोड़कर नया नाम सीता प्रसाद पाण्डे रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अतः अब मुझे सीता प्रसाद पाण्डे आत्मज भास्कर पाण्डे के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

सीता प्रसाद
आत्मज श्री भास्कर पाण्डे
निवासी-मकान नं. 247/बी, रिसाली सेक्टर भिलाई,
तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)

नया नाम

सीता प्रसाद पाण्डे
आत्मज श्री भास्कर पाण्डे
निवासी-मकान नं. 247/बी, रिसाली सेक्टर भिलाई,
तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)

विविध

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं लोक न्यास का पंजीयक, जगदलपुर, जिला बस्तर

प्रारूप क्रमांक-5
[देखें नियम 5 (1)]
[छ. ग. लोक न्यास अधिनियम 1951 (1951 का 30) और छ. ग. लोक न्यास नियम 1962 के नियम 5 (1) द्वारा]

जगदलपुर, दिनांक 6 अगस्त 2016

रा. प्र. क्र. 2 /ब-113/2015-16.

क्रमांक 560 /अ.वि.अ./अधिसूचना/2016.— अतः मुझे यह प्रतीत होता है कि अनुसूची में विनिर्दिष्ट सम्पत्ति छत्तीसगढ़ लोक न्यास अधिनियम 1951 (1951 का 30) की धारा 2 की उपधारा (4) के आशय के अधीन श्री जैन श्वेताम्बर मंदिर ट्रस्ट, जगदलपुर, जिला बस्तर लोक न्यास का गठन करती है.

अब इसलिए, मैं एस. आर. कुर्रे, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं लोक न्यास का पंजीयक, जगदलपुर, जिला बस्तर मेरे न्यायालय में दिनांक 08 सितम्बर, 2016 दिन गुरुवार को, कथित अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) में यथा अपेक्षित, मामले में जांच करने को प्रस्तावित करता हूं.

एतद्द्वारा सूचना पत्र दिया जाता है कि कथित न्यास या सम्पत्ति का कोई न्यास या इसमें हितबद्ध कोई व्यक्ति और आपत्ति या सुझाव देने का आशय रखने वाले को दो प्रतियों में सूचना, सूचना पत्र की प्रकाशन की तिथि से एक माह के भीतर लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिए और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिशः अथवा प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिए. उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरांत प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जायेगा.

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम, पता व संपत्ति का विवरण)

(1)	लोक न्यास का नाम व पता	:	श्री जैन श्वेताम्बर मंदिर ट्रस्ट, जगदलपुर, जिला बस्तर
(2)	चल संपत्ति	:	विभिन्न बैंकों के एफ. डी. आर. में जमा राशि रुपये 29,82,708-00
(3)	अचल संपत्ति	:	प्रतापगंज पारा, जगदलपुर में शीट क्रमांक 93 प्लाट नं. 39/2 क्षेत्रफल 7170 वर्गफुट भूमि रुपये 2,87,00,000.00

एस. आर. कुर्रे,
अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं पंजीयक.

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं लोक न्यास का पंजीयक, जगदलपुर, जिला बस्तर

प्रारूप क्रमांक-5

[देखें नियम 5 (1)]

[छ. ग. लोक न्यास अधिनियम 1951 (1951 का 30) और छ. ग. लोक न्यास नियम 1962 के नियम 5 (1) द्वारा]

जगदलपुर, दिनांक 6 अगस्त 2016

रा. प्र. क्र. 1 /ब-113/2015-16.

क्रमांक 561 /अ.वि.अ./अधिसूचना/2016.— अतः मुझे यह प्रतीत होता है कि अनुसूची में विनिर्दिष्ट सम्पत्ति छत्तीसगढ़ लोक न्यास अधिनियम 1951 (1951 का 30) की धारा 2 की उपधारा (4) के आशय के अधीन विदिप एजुकेशनल ट्रस्ट, जगदलपुर जिला बस्तर लोक न्यास का गठन करती है.

अब इसलिए, मैं एस. आर. कुर्रे, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं लोक न्यास का पंजीयक, जगदलपुर, जिला बस्तर मेरे न्यायालय में दिनांक 29 अगस्त, 2016 दिन सोमवार को, कथित अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) में यथा अपेक्षित, मामले में जांच करने को प्रस्तावित करता हूं.

एतद्द्वारा सूचना पत्र दिया जाता है कि कथित न्यास या सम्पत्ति का कोई न्यास या इसमें हितबद्ध कोई व्यक्ति और आपत्ति या सुझाव देने का आशय रखने वाले को दो प्रतियों में सूचना, सूचना पत्र की प्रकाशन की तिथि से एक माह के भीतर लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिए और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिशः अथवा प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिए. उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरांत प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जायेगा.

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम, पता व संपत्ति का विवरण)

(1)	लोक न्यास का नाम व पता	:	विदिप एजुकेशनल ट्रस्ट, जगदलपुर जिला बस्तर
(2)	चल संपत्ति	:	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, मुख्य शाखा, जगदलपुर के खाता क्रमांक 35925315354 में कुल जमा राशि रुपये 11,000-00.
(3)	अचल संपत्ति	:	निरंक

एस. आर. कुर्रे,
अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं पंजीयक.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2016.